[2022] 6 S.C.R. 1148

रुचि रावत

बनाम

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एटा एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 5218/2022)

05 अगस्त 2022

[न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: धारा 25 – मामलों का स्थानांतरण करने की शक्ति– माना: वैवाहिक मामलों में आम तौर पर, स्थानांतरण पर विचार करते समय पत्नी की सुविधा को अवश्य देखा जाना चाहिए– तथ्यों पर, अपीलकर्ता–पत्नी के पास आय का कोई स्रोत नहीं था, वह मथुरा में अपने माता–पिता के साथ रहती थी और आर्थिक और भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर थी और एक महिला होने के नाते वह प्रत्यर्थी संख्या–2– पति द्वारा दायर मुकदमें की एटा में पैरवी करने के लिए मथुरा से एटा तक यात्रा करने की स्थिति में नहीं थी– इस प्रकार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, एटा, उत्तर प्रदेश के समक्ष लंबित अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर मुकदमे को तुरंत प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करना उचित और न्यायसंगत है।

एन.सी.वी. ऐश्वर्या बनाम ए. एस. सरवना कार्तिक शाह सिविल अपील संख्या 4894/2022, 18.07.2022 को निस्तारित– संदर्भ दिया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5218/2022।

स्थानांतरण आवेदन (सिविल) संख्या 517/2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 31.03.2022 से।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय भार्गव।

प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता वैभव मिश्रा, अकांश बंसल, परमानंद गौड़।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

<u>आदेश</u>

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील स्थानांतरण आवेदन (सिविल) संख्या 517/2018 में दिनांक 31.03.2022 के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता–पत्नी द्वारा दायर याचिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

को खारिज कर दिया है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, एटा, उत्तर प्रदेश के समक्ष उसके पति (यहां प्रत्यर्थी संख्या 2) द्वारा दायर मूल मुकदमा संख्या 23/2018 को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

3. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एटा में अपीलकर्ता के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत मूल मुकदमा संख्या 23/2018 दायर किया था। अपीलकर्ता ने मथुरा की विभिन्न अदालतों में प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ कुछ मामले भी दायर किए थे और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एटा में अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला रखा गया है कि वह एक महिला होने के नाते प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर मामले पर एटा में मुकदमा चलाने के लिए मथुरा से एटा तक यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह मथुरा में अपने माता–पिता के साथ रह रही है और वह आर्थिक और भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर है और वह अपने माता–पिता की दया पर जीवित है। यह भी आरोप है कि जब वह 19.02.2018 को अदालत में पेश होने के बाद एटा से मथुरा लौट रही थी तो प्रत्यर्थी संख्या 2 और उसके भाई ने उसे धमकी दी थी। निःसंदेह, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उक्त आरोप का खंडन किया गया।

4. यह सर्वविदित है कि वैवाहिक मामलों में आम तौर पर स्थानांतरण पर विचार करते समय पत्नी की सुविधा को अवश्य देखा जाना चाहिए। एन.सी.वी. ऐश्वर्या बनाम ए.एस. सरवना कार्तिक शा (सिविल अपील संख्या 4894/2022, 18.07.2022 को निस्तारित) में, इसे निम्नानुसार माना गया था:

> "9. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत शक्ति के प्रयोग का मुख्य सिद्धांत यह है कि न्याय के उद्देश्य से मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही के हस्तांतरण की मांग करनी चाहिए। वैवाहिक मामलों में, जहां भी अदालतों को स्थानांतरण की याचिका पर विचार करने के लिए कहा जाता है, न्यायालयों को दोनों पक्षों की आर्थिक सुदृढ़ता, पति–पत्नी के सामाजिक स्तर और उनके व्यवहार्य तरीके, विवाह से पहले और उसके बाद उनके जीवन स्तर और उनकी आजीविका चलाने में दोनों पक्षों की परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जिनकी सुरक्षा छत्रछाया में वे जीवन के लिए अपना भरण–पोषण मांग रहे हैं। भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक–आर्थिक प्रतिमान को देखते हुए, आम तौर पर स्थानांतरण पर विचार करते समय पत्नी की सुविधा को देखा जाना चाहिए।"

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर मामले को एटा से मथुरा स्थानांतरित करना उचित और न्यायसंगत है।

6. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। हम प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, एटा, उत्तर प्रदेश के समक्ष लंबित मूल वाद संख्या 23/2018 को तत्काल प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करने का निर्देश देते हैं। प्रधान न्यायाधीश, परिवार, न्यायालय, एटा, मामले का अभिलेख तुरंत और बिना किसी देरी के स्थानांतरित अदालत को भेजेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

7. पक्षकारों को अपनी–अपनी लागत वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निस्तारण किया जाता है।

निधि जैन अपील को अनुमति दी जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।